**DELHI BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD,**
**LABOUR DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI**
'A' WING, 7TH FLOOR, VIKAS BHAWAN-II, CIVIL LINES, DELHI–110054
**Email id :bocwhq.delhi@gov.in Phone : 011-23813846, 23813773**

F No. 563

Dated:-25/03/2022

To,

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054.

**Sub: - Unstarred Question No. 192 due for 29.03.2022.**

Sir,

Please find enclosed herewith 100 Copies duly certified by the Competent Authority of Unstarred Question No. 192 due for 29.03.2022 for further necessary action at your end.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully

**(Pawan Kumar)**
**Dy. Secretary (HQ)**

## उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम :–श्रम विभाग, दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-54
विभाग का पता :– 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054
अतारांकित प्रश्न संख्या :–192
दिनांक :–29 / 03 / 2022
प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री जितेंद्र महाजन
क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क)पिछले दो वर्षों में लेबर डिपार्टमेन्ट द्वारा कितने लोगों के लेबर कार्ड बनाए गए हैं; | श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल 1,86,909 लेबर कार्ड बनाए गए।<br>वर्ष 2021-22 (20.03.2022) तक कुल 6,53,426 लेबर कार्ड बनाए गए। |
| ख)लेबर कार्ड बनाने हेतु क्या पात्रता मापदंड हैं; | लेबर कार्ड बनाने हेतु निम्नलिखित पात्रता मापदंड हैं :-<br>1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए<br>2. गत 12 माह के अंतर्गत 90 दिन का रोजगार सर्टिफिकेट |
| ग)वर्तमान में विभाग में कितने लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया लंबित है; और | वर्तमान में विभाग में विभिन्न स्तरों पर 4,33,917 लेबर कार्ड प्रक्रियाधीन है । इनमें से 159914 आवेदक श्रमिकों के स्तर पर लंबित है तथा शेष बोर्ड स्तर पर। |
| घ) लेबर कार्ड द्वारा मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जाए | श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण इस प्रकार है:–<br><br>1. प्रसूति लाभ (नियम 271)–<br>मातृत्व लाभ 30,000 / – रू० (केवल दो बच्चों तक)<br><br>2. **गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 271 (क) – रू० 3,000 / – (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।<br><br>3. **पेंशन** (नियम 273) –<br>60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रू० 3,000 / – प्रति माह एवं रू० 300 / –की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।<br><br>4. **मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम** (नियम 274) – रू० 3,00,000 / – तक की राशि का ऋण (पात्रता – दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रू० 5,00,000 / –तक की राशि का ऋण (पात्रता – पद्रंह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)।<br><br>5. **अक्षमता पेंशन** (नियम 275)–<br>रू० 3,000 / – प्रति माह (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।<br><br>6. **अपंग** (नियम 275) हो जाने पर रू० |

1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

7. **निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण** (नियम 276)– रू॰ 20,000/– (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता )।

8. **निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान** (नियम 276 (क))– (5 वर्ष में एक बार) रू॰ 5,000/– (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)।

9. **श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 277) रू॰ 10,000/–(पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

10. **मृत्यु लाभ का भुगतान** (नियम 278)–

श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित / आश्रितों को रू॰ 1,00,000/–का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/ अनुग्रह राशि रू॰ 2,00,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

11. **लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता** (नियम 280)–

चिकित्सा सहायता अधिकतम रू॰ 2,000/– तक की राशि पहले दिन से पांच

दिन तक एवं रू॰ 200/– अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पालस्ट्र के लिए रू॰ 10,000/– तक की राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

12. **शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता** (पात्रता – (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i)कक्षा – 1 से 8 तक रू॰ 500/– प्रति माह ।

(ii)कक्षा – 9 से 10 तक रू॰ 700/– प्रति माह।

(iii)कक्षा – 11 से 12 तक रू॰ 1000/– प्रति माह ।

(iv)स्नातक स्तर रू॰ 3,000/– प्रति माह

(v)आई.टी.आई. पाठयक्रम रू॰ 4,000/– प्रति माह ।

(vi)एल.एल.बी. (पाँच वर्ष) पाठयक्रम रू॰ 4000/– रू॰ प्रति माह

(vii)पालिटैकनिक डिपलोमा पाठयक्रम रू॰ 5000/–प्रतिमाह

(viii)एल. एल.बी. (तीन वर्ष) पाठयक्रम रू॰ 3000/– रू॰ प्रति माह

(ix)इंजीनियिरंग, मेडिसन, एम.बी.ए. जैसे तकनीकी पाठयक्रम के लिए

| | |
|---|---|
| | रू॰ 10,000/– प्रति माह<br>(ix)दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/ कालेज/प्राइवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त स्कूल/ कालेज/ संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठयक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।<br>13. **विवाह के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 282)–<br>स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–<br>क)पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रूपये 51,000/–<br>ख)पंजीकृत पुरूष सदस्य के विवाह पर – रूपये 35,000/–<br>ग)पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रूपये 51,000/–<br>घ)पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रूपये 35,000/– ( नियम 282)<br>14 **पारिवारिक पेंशन** –पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)। |

हस्ताक्षर
(संजीव आहूजा)
विभागाध्यक्ष
SANJEEV AHUJA
Commissioner (Labour)